A1.G.2

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत, जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी से झांकरा तक 3 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम झाँकरा
तहसील काँडा, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी से झाँकरा परियोजना के निर्माण हेतु (——— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.210 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 1.260 हे0) अर्थात कुल 1.47 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट (बागेश्वर) विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत झाँकरा द्वारा दिनांक 12.12 को 2014 सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम झाँकरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [signature]
ग्राम सचिव

[signature] 12/12/2014
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत झाकरा
वि0ख0–कपकोट जनपद–बागेश्वर
(ग्राम प्रधान)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

A 1.6.3

प्रपत्र--23.1

दिनांक 12.12.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...झाँकरा...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	मुरलीधर जोशी झाकरा	मुरली धर
(2)	कीर्ति वल्लभ जोशी	कीर्तिवल्लभ
3	आनन्द राम ग्र. प. स.	आनन्द राम
4	पूरन राम ग्र. प. स.	[illegible]
5	[illegible] जोशी	[illegible]
6	[illegible] जोशी	[illegible]
7	रतन राम	रतन राम
8	मोहन राम	[illegible]
9	[illegible] राम	[illegible]
10	[illegible] जोशी आं. का.	[illegible]
11	[illegible] देवी उ. प्र. आं. का.	[illegible] देवी
12	मदन राम	मदनराम
13	दीवान राम	दीवान राम
14	हरीश राम	[illegible]
15	परम राम	परम राम
16	किशन राम	किशन राम
17	सरिता देवी	सरिता देवी
18	कमला जोशी	कमला जोशी
19	खिमा जोशी	[illegible]
20	देवकी देवी	देवकी देवी

ग्राम प्रधान 12/12/2014
ग्राम पंचायत झाकरा
वि०ख०--कपकोट जनपद--बागेश्वर
ह0(उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान

21 प्रेमा देवी — प्रेमा देवी
22 इन्दुली देवी — इन्दुली देवी
23 कुंवर राम — [illegible]
24 प्रेम राम — [illegible]
25 [illegible] सिंह — [illegible]
26 [illegible] सिंह — [illegible]
27 दौलत राम — दौलत राम
28 खीम राम — खीम राम
29 प्रेम राम — प्रेमराम
30 [illegible] — सुनील जोशी — [illegible]
31 [illegible] — आनन्द [illegible] — [illegible]
32 [illegible] — हरीश चन्द्र — [illegible]
33 [illegible] — नीरज कुमार — [illegible]

(34) भूपाल राम — [illegible]
(35) महेश कुमार — [illegible]
(36) कवीराम — [illegible]
(37) रघुली देवी — रघुली
(38) गणेश दत्त — [illegible]
(39) गोपाल दत्त — [illegible]
(40) दयाकृष्ण — [illegible]
(41) श्यामदत्त — [illegible]
(42) गंगादत्त — [illegible]

A1.6.4

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कोटडी देवी से डाँकरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, काँडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोटडी देवी से डाँकरा तक 3.00 किमी मो०मार्ग के निर्माण (———— हे0 आरक्षित वन भूमि 0.210 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.26 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.47 ———— हे0 वन भूमि) का ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ————) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ———— उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

———— अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी

1— श्री रेखा कोहली ———— उपजिलाधिकारी ———— सदस्य
2— श्री सत्येन्द्र प्र० तिवारी ———— उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— बागेश्वर ———— सदस्य / सचिव
3— श्री कालू राम ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य
4— श्री जोगा सिंह ———— बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— जारवनी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ———— परियोजना हेतु............हे0 वन भूमि ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ____________ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ____________परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति)
तहसील–..
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..................................
जनपद..................................

A 1.6.4

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date.13-2-015..at time.3..P.at Bageshwar in which application claiming rights in Jhakara area measuring 1.470 hect for the Construction of **Kameri Devi to Jhakara moter road in distt Bageshwer** (3.00km) of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 13-2-015

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe
जिला अधिकारी
बागेश्वर

A 1.6.7

प्रपत्र—23.3

परियोजना का नाम :— जिला योजना के अन्तर्गत कमेड़ी देवी से झाकरा तक मोटर मार्ग निर्माण 3 किमी०

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद— बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित कमेड़ी देवी से झाकरा। परियोजना के निर्माण हेतु 1.47 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति झाकरा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति / वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0 / —
जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोट :— उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण—पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

A 1.6.8

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत कमेड़ी देवी से झाकरा तक 3 किमी मोटर मार्ग निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित कमेड़ी देवी से झाकरा परियोजना के निर्माण हेतु 1.470 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/
जिलाधिकारी

A-1.6.9

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated…………*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.470** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Kameri Devi to Jhakara moter road in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

(g) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.470** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**

(h) The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**

(i) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral)
District Collector
जिलाSeal अधिकारी
(Full name and official seal of the District Collector

A 1-6-10

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated……………*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.470** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Kameri Devi to Jhakara moter road in distt Bageshwer.**

It is further certified that :-

(m) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.470** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure……..to annexure…….

(n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**

(o) The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Jhakara Village (s) is enclosed as annexure……..

(p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**

(q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(r) The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

A 1.6.11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जिला योजना के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.00 किमी0)** नव निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू–स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट